

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद (छ.ग.)

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद कार्यालय: फोन नं. 07749-223904 ई-मेल: dfobalod@yahoo.com

क्रमांक/तक.अधि./2022 1524
प्रति,

बालोद, दिनांक 10/08/2022

मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 proposed for jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of optical Fibre Cable (OFC) line in Balod Forest Division under Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojna (SKY), Area-2.895 Ha. (Reg. No. FP/CG/OFC/46941/2020 Date 18-01-2021)

संदर्भ:- 1.आपका पत्र क्र/तक.अधि/4020 दिनांक 30.05.2022
2.महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर का पत्र क्र/जिडिफाप्रालि/वनभूमि/व्यपवर्तन/2022 दिनांक 03.03.2022

※ ※ ※ ※ ※

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 proposed for jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of optical Fibre Cable (OFC) line in Balod Forest Division under Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojna (SKY), Area-2.895 Ha. (Reg. No. FP/CG/OFC/46941/2020 Date 18-01-2021) से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रकरण में पांच बिन्दुओं की आपत्ति लगाई गयी थी, आपत्ति के निराकरण कर पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	विवरण	निराकरण
1	भाग-2 घनत्व 6 उल्लेख है, इसे स्पष्ट करे।	बालोद वनमंडल के परिक्षेत्र डौण्डीलोहारा - डौण्डी एवं दल्लीराजहरा अंतर्गत भूमि गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रकरण में जिन-जिन कक्ष प्रभावित हो रहे हैं उस कक्ष के वन शस्य को आधार मानकर 0.6 घनत्व का निर्धारण किया गया है।
2	भाग-2 में वनमंडलाधिकारी के नाम अंकित नहीं है।	प्रकरण में नाम अंकित किया गया है।
3	प्रस्ताव में आरक्षित वन 2.497, संरक्षित वन 0.234, राजस्व वनभूमि 0.164 कुल 2.895 हे० है। जिसका आपके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में कही उल्लेखित नहीं है।	प्रस्ताव में आरक्षित वन 2.497, संरक्षित वन 0.234, राजस्व वनभूमि 0.164 कुल 2.895 हे० क्षेत्र संलग्न प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।
4	संलग्न मैप में मूल हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव में मूल प्रति संलग्न है।
5	प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र पेज क्र. 47 से 102 की छायाप्रति संलग्न है। इसमें किसी के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।	संबंधित पंचायत द्वारा सत्यापित संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रपत्र-3 अनुशंसा सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-

1. प्रस्ताव 4 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रस्ताव में संलग्न (04 प्रतियों में)
3. टाईम लाईन।

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

ई-मेल: dfobalod@yahoo.com

बालोद, दिनांक 10/08/2022

संदर्भ:-

1. छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर का पत्र क्र./एफ 7-22/2009/10-2 दिनांक 22.06.2018
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अटल नगर नया रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध /विविध /एल. एम.-115-766A/128 दिनांक 18.01.2021
- 3.आपका पत्र क्र./तक.अधि/4020 दिनांक 30.05.2022
- 4.आवेदक संस्थान जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर छ.ग. का पत्र क्र./जिडिफाप्रालि/वनभूमि/व्यपवर्तन/2022 दि. 06.06.2022

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि संदर्भित पत्र क्र. 02 में माध्यम से Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 for Jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Balod Forest Division Chhattisgarh, Area- 2.895 ha. पंजीयन क्र. FP/CG/OFC/46941/2020 Date 11-01-2021 द्वारा पंजीयन आबटन किया गया है।

वनमंडल के परिक्षेत्र लोहारा/दल्ली/डौण्डी अंतर्गत प्रभावित कक्ष क्र. क्रमशः 201, पी. 307, 191, 192, 193, 194, 173, 180, 170, पी. 257, 92, 96, 99, 144, 3, 16, 20, 19, 251, 77, 79, 56, 82, 83, 85, 86, 118, 110, 122, पी. 267, 123, 124, पी. 263, 164, 163, 172, 176, 177, 291 रकबा क्रमशः 0.050, 0.021, 0.048, 0.019, 0.053, 0.143, 0.034, 0.022, 0.063, 0.035, 0.065, 0.138, 0.125, 0.035, 0.292, 0.060, 0.248, 0.033, 0.052, 0.031, 0.084, 0.036, 0.095, 0.081, 0.08, 0.180, 0.009, 0.063, 0.121, 0.082, 0.062, 0.060, 0.044, 0.035, 0.049, 0.046, 0.005, 0.022, 0.010 आरक्षित वन 2.497 हे० एवं संरक्षित वन 0.234 हे० रकबा 2.731 हे० एवं राजस्व वन भूमि खसरा नंबर क्रमशः 562, 553, 43/403, 184, 143, 82/1, 68/1, 263/1, 411/1, 348, 74/1, 198/1, 10, 338, 607, 617, 57, 117 रकबा क्रमशः 0.002, 0.004, 0.007, 0.055, 0.004, 0.019, 0.004, 0.003, 0.005, 0.013, 0.025, 0.007, 0.003, 0.003, 0.006, 0.001, 0.002, 0.001 रकबा 0.164 हे० कुल रकबा 2.895 हे० क्षेत्र को संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से ROW प्रक्रिया सरलीकरण के तारतम्य में जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर के OFC के व्यर्पतन प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण हेतु (पूर्व से निर्धारित 44 बिन्दुओं के चेकलिस्ट के स्थान पर) 21 बिन्दुओं की नवीन चेक लिस्ट के निर्धारण किया गया है।

आवेदक संस्थान जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 03 के माध्यम से 21 बिन्दुओं में तैयार कर इस कार्यालय को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। चेकलिस्ट अनुसार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र— आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर (छ0ग0) ने बालोद जिले के बालोद वनमण्डल अंतर्गत 2.895 हे वन भूमि पर हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म "क" पर कुल रकबा 2.895 हे. मांग किया है, वनमण्डल अधिकारी द्वारा दिनांक 01/04/2022 द्वारा स्थल निरीक्षण पश्चात प्रपत्र 3" पर अनुशंसा की गई है। फार्म-ए (आवेदक संस्थान) पार्ट 2 (वनमंडलाधिकारी) एवं ऑनलाईन टाईम लाईन की 1-1 प्रति में संलग्न है।	1
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति— प्रस्ताव का अनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/46941/2020 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल 35000/-रु. जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।	2 से 10
3.	वन क्षेत्र विवरण— आवेदित रकबा 2.895 हे0 वन क्षेत्र का विवरण संलग्न।	11 से 13
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण— प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रही है।	14
5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोग्रीफ 1:50000 स्केल पर— प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	15 से 16
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप— वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप तथा एफ.एम.आई.एस. द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न।	17 से 19
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव— प्रपत्र-4 में परियोजना की लागत 546 लाख रु है। आवेदक संस्थान ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में मार्ग के राईट-ऑफ-वे के अंतर्गत आर्टिकल फायबर केबल बिछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासियों और बिछड़े समुदायों के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।	20 से 28
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप— प्रस्ताव में प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप संलग्न है।	29
9.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र— प्रस्ताव में न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	30
10.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्य/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही— इस परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार से अधिनियम उल्लंघन नहीं किया गया है।	31
11.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र III, IV वरिष्ठ कार्यालय से भरा जावेगा— प्रपत्र-3 वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।	32 से 44
12.	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र— व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	45
13.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र— संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	46 से 102
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में— जिले की कुल वन भूमि रकबा 862.920 वर्ग कि.मी. है।	103
15.	व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में— वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 10 प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि का रकबा 721.873 हे. है।	104
16.	व.स.अ.—1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Catagory की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में— जिले में इसी Catagory के कोई प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम, 1980	105

	अंतर्गत 01 स्वीकृत है।	
17.	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह नहीं है।	106
18.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998 दिनांक 03/08/2009):- आवेदक द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति पश्चात वनअधिकार पत्र (FRA Certificate) प्रस्तुत करने के संबंध में प्रस्तुत वचन पत्र को मान्य करते हुए प्रकरण प्रसस्कृत। छायाप्रति संलग्न।	107 से 112
19.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):- प्रस्तावन में 0.164 हे० राजस्व वन भूमि सम्मिलित है तथा कलेक्टर, बालोद का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	113 से 115
20.	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण:- प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक- FP/CG/OFC/46941/2020 एवं 35000 रु पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।	116 से 117
21.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणि) छत्तीसगढ़ की अनुसंशा:- ओ.एफ.सी केवल राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण से नहीं गुजर रही है।	118 (119 से 160)

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साइट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रपत्र-3 अनुसंसा सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

- संलग्न:-
1. प्रस्ताव 4 प्रतियों में
 2. डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रस्ताव में संलग्न (04 प्रतियों में)
 3. टाईम लाईन

क्रमांक/तक.अधि./2022 1526

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) अटल नगर नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. कलेक्टर बालोद जिला बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

क्रमांक/तक.अधि./2022 1527

प्रतिलिपि:-

1. उपवनमंडलाधिकारी दिल्ली/बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त परिक्षेत्र अधिकारी बालोद वनमंडल बालोद की ओर सूचनार्थ

वनमंडलाधिकारी

बालोद वनमंडल बालोद

बालोद, दिनांक 10/08/2022

वनमंडलाधिकारी

बालोद वनमंडल बालोद

बालोद, दिनांक 10/08/2022

वनमंडलाधिकारी

बालोद वनमंडल बालोद